Prof. Pankay kr. Gupta
Assistant Professor (Economics)
(Guest faculty)
R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan

B.A. Part II - Economics (Hons.)

Module 3: Taxation

X

TOPIC: Taxation - Meaning, Cannons and classification

🦈 कर का अर्थ (Meaning of tax)

कर सरकार की आयं का मुरुष सीत हैं जो किसी सार्वजनित कर आधकारी क्वारा अनिवार्ध भुगतान के रूप में लगाया जाता है जिसके बहले में करहाता को एक निश्चित मात्रा में सेवाएं प्राप्त होती है। यह किसी कानूनी अपराध की सजा के रूप में नहीं होता बल्कि इस कर के माहयम से सरकार कारा लीक कल्याणकारी कार्य संपादित किया जाता है, इसलिए इस कर को न्यायसंगत कहा जा सकता है।

करों की विशेषताएं (Canons of Taxes)

करों की मुख्यतः तीन विशेषताएं होती हैं—

- टा) कर अनिवार्ध होते है। सरकार जिस व्यक्ति धा संस्था पर कर लगाती है उसे अनिवार्थतः भुगतान करना पड़ता है। कर नहीं देने पर सरकार उचित कार्यवाही कर सकती है।
- (2) करें से प्राप्त आय का उपयोग सामान्य जनता के हित की महीं पर शर्म किया जाता है। परंतु, यह आवश्यक नहीं कि जी उयकित कर किया कि कर की आय के बदले में निश्चित मात्रा में लाभ निर्मा है सकेगा।

(3) कर भीर ठ्या अधीत् सरकारी ठ्या से प्राप्त लाओं का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता। सामान्यतः यह देखा जाता है कि ब्यनिकों से प्राप्त आय की सरकार सामान्य जनहित के मदों जैसे- चिकित्सा, जिल्ला हाता है विकास करती है।

कर लगाने के उद्देश (Objectives of taxation)

- U) आय प्राप्ति
- ७) आर्थिक असमानता की कम करना
- (3) राष्ट्रीय आय में शहि
- (4) आयात निर्यात की सफलता से चलाना
- (5) आधिक एवं सामाजिक जीवन पर नियंत्रण
- (७) आधिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति
 - (म) आधिक विकास
 - (8) चूंजी निर्माण

करों का वर्गीकरण (crassification of Taxes)

(1) आनुपातिक कर (Proportional Tax)

आय या संपन्नि पर अने मात्रा के अनुपात में लगाया जाने वाला कर। इदाहरण - यदि सरकार ने आये के 10 प्रतिशत के वराबर कर लगाया हो ती 100 साथ नाले की 10 से और 500 स आय नाले की 50 स कर देना होगा।

(2) प्रतिज्ञामी कर (Regressive Tax)
जब आय बड़ने के साथ-साथ कर की दूर में कमी होती है।
उदाहरण - चिंद सरकार 100 क् आय वाले लोजों से 5% कर लेती है।
के 500 के आय वाले हो 4% कर लेती है।

- (3) अधोजामी कर (Degressive rax)
 जब आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में शिंदु होती जाए परंतु,
 यह शिंदु की दर बहुत सामान्य सी हैं। इस कर से व्यनिकों पर
 कर का नार बड़ता है।
- (4) प्रगतिशील कर (१-०४ ressive rax)
 जब आय र्राष्ट्र के लादा ही कर की दर में इल्लेशनीय मात्रा में
 राष्ट्रि होती है। बिद 200 र मासिक झाय बाला 5 प्रतिशत कर देता
 और 500 र मासिक आय बाला 25% कर देता है तो इसे प्रगतिशीला
 कर कहा जाता है।
- (5) स्थायी कर (fermanent Tax)
 स्थायी रूप से दीर्धकाल के लिए लगाये जाते है। जैसे-आय कर, बिक्री कर)
 (6) अस्थायी वर (Temporary Tax)
- अस्थायी रूप से किसी विश्वेष काल के लिए विश्वेष परिस्थितियों के कारण लगाये जाते हैं।
- (म) एक कर (Single Tax)
 जब एक ही प्रकार का कर विशेष वस्तुओं नथा विशेष वर्ग के सदस्यों
 पर लगाया जाता है।
 - (8) बहु कर (Multiple Tax) इस कर का भार प्रायेक व्यक्ति पर पड़ता है।
 - (9) प्रत्यक्ष कर (Pirect rax)
 अब कर का भार उसी ठ्यकित पर पड़े जी उसे हैता है और जिसके
 आर की वह इसरे ठ्यकितयों पर म राल सके। जैसे आय कर।
 - (10) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
 जब कर जिस न्यकित पर लगाया जाता है वह उसे इसरों पर
 राला देग है। जैसे विक्री कर । , वस्तु एवं सेवा कर (45T)

- (11) निशिष्ट कर (specific Tax)
 जल कर वजन, आकार था इकार्द के अनुसार लिया जाता है।
- (12) मूल्यानुसार कर (Ad valorem tax) जब कर वस्तुओं के मूल्य के अनुपात में लगाया जाता है।